

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 27 / 2020

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. लालसिंह पुत्र पोकर सिंह जाति
राजपुरोहित निवासी बालेरा जिला
बाड़मेर (मैसर्स कुलदेवी स्वीट होम,
बस स्टैण्ड रोड चौहटन जिला
बाड़मेर का मैनेजर)
2. भोपाल सिंह पुत्र पोकर सिंह जाति
राजपुरोहित निवासी बालेरा जिला
बाड़मेर (मैसर्स कुलदेवी स्वीट होम,
बस स्टैण्ड रोड चौहटन जिला
बाड़मेर का मालिक)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.11.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान मैसर्स कुलदेवी स्वीट होम, बस स्टैण्ड रोड चौहटन जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 14.10.2019 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मिठाई (कलाकन्द) जो कि एक थाल में करीब 08 कि0ग्रा0 रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 02 कि0ग्रा0 मिठाई (कलाकन्द) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1099 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने वाले नमूने पर धारा 5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ मिठाई (कलाकन्द) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिठाई (कलाकन्द) का नमूना



असुरक्षित खाद्य (**Unsafe food**) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 07.01.2020 में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मिठाई कलाकन्द के गुणवत्ता एवं मापदण्ड का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मिठाई कलाकन्द के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही नहीं बरती गई थी। तेज गर्मियों के मौसम के दौरान गर्मी अधिक होने के कारण एवं गांव में अक्सर विद्युत कटौती के कारण टेम्परेचर मँटेन नहीं होने से विभिन्न खाद्य मानकों में मामूली सी भिन्नता आई है। साथ ही खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर एवं निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर की रिपोर्ट में भी फैट वैल्यू भिन्न-भिन्न पाई गई है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि उक्त मिठाई किसी भी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। लिहाजा उक्त परिवाद निरस्त करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 07.01.2020 में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of Extracted Fat at 40 degree C जिसका मानक स्तर 40-44 के मुकाबले 46.60 पाया गया है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रतिरक्षण में निवेदन किया कि उक्त **मिठाई (कलाकन्द)** का निर्माण उचित सामग्री का उपयोग कर बनाया गया था जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी। साथ ही उक्त मिठाई किसी भी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। लिहाजा उक्त परिवाद निरस्त करने का आदेश फरमावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने



प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर